

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 48/2023

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र दिलावर सिंह जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
– वादी

बनाम्

1. दिलावर सिंह पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री दिलावर सिंह पत्नी सोनू जाति मेघवाल निवासी खुसर जिला सिरसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता वादी

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 23.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता स0 41/39 की कुल 1.7710है0 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 56/54 की कुल 1.2020है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति-रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 जो कि वादी की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी स0 1 हक हिस्सा की भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है त प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता स0 41/39 की कुल 1.7710है0 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 56/54 की कुल 1.2020है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता स0 41/39 की कुल 1.7710है0 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 56/54 की कुल 1.2020है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी को प्रतिवादी स0 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/23..... को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-दीपलाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 48/2023

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र दिलावर सिंह जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
– वादी

बनाम्

1. दिलावर सिंह पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री दिलावर सिंह पत्नी सोनू जाति मेघवाल निवासी खुसर जिला सिरसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 48 सन 2023 निर्णय दिनांक 23.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदरा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 41/39 की कुल 1.7710है0 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 56/54 की कुल 1.2020है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी को प्रतिवादी स0 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना